न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 152/2021

प्रार्थीगण

1. निम्बाराम वल्द भगवानाराम
2. भगवानाराम वल्द जोधाराम
3. हिमथाराम वल्द सोनाराम

   जाति जाट निवासी डऊकियों की बेरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (भू.अ.) गुड़ामालानी
2. सोना वल्द जोधा
3. केसी पत्नी रेखाराम
4. चुतराराम वल्द पुरखाराम
5. जोगाराम वल्द रेखाराम
6. केशराराम वल्द राउराम
7. जमनादेवी पत्नी राउराम
8. जैसाराम वल्द मिराम
9. देवाराम वल्द राउराम
10. लछाराम वल्द राउराम
11. हेमाराम वल्द राउराम

    जाति जाट निवासी डऊकियों की बेरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
12. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. शाखा होडू

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 14/2/23

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् तरमीम दुरस्ती का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 54/2 रकबा 3.1565 हैक्टेयर प्राथी संख्या 3 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 54/3 रकबा 1.1817 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 54/1 रकबा 5.1233 हैक्टेयर विप्रार्थी संख्या 3 ता 5 की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 54/5 रकबा 3.1808 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 6 से 11 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 54/4 रकबा 3.1808 हैक्टेयर तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र गोलिया जैतमाल के राजस्व ग्राम डऊकियों की बेरी में स्थित है। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के उपरोक्त समस्त खसरे मूल खसरा 54 के विभाजन से विभक्त होकर बने हैं। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण द्वारा कराये गये विभाजन में विभक्त खसरों का रकबा तो राजस्व रेकर्ड में सही अंकित किया है परन्तु मौके की तरमीम कब्जा काश्त अनुसार नहीं कर कब्जा काश्त से भिन्न कर दी गई है जिससे प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की ढाणियां, टांके आदि एक दूसरे के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:49:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

कब्जार काश्त में चले गये हैं। इस प्रकार गलत हुई तरमीम को दुरूस्त करने हेतु उक्त आवेदन न्यायालय में लाना आवश्यक होने से पेश किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2021 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थीगण विप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उक्त गलत तरमीम को प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत परिशिष्ट 'अ' के अनुसार दुरूस्त करने का निवेदन किया। विप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट कमांक 20 दिनांक 03.01.2022 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा डऊकियों की बेरी के खेत खसरा संख्या 54/1, 54/2, 54/4, 54/5, 54/3 के पक्षकारों का कब्जा काश्त के रकबा व तरमीमी रकबा में काफी भिन्नता है प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार तरमीम शुद्ध किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड तथा भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत मौका रिर्पोट का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया। हांलाकी तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट में पक्षकारान का कब्जा काश्त मौके पर भिन्न होने की जानकारी दी है परन्तु पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी का आपसी सहमति से विभाजन करवाया गया था। विभाजन से स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 75 की पुष्ट पर अंकित तरमीम व वर्तमान तरमीम में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। यदि प्रार्थीगण आपसी सहमति से किये गये विभाजन से असंतुष्ठ थे तो सक्षम न्यायालय में विभाजन की अपील किये जाने के लिये प्रार्थीगण स्वतन्त्र थे। आपसी सहमति से स्वीकृत विभाजन प्रस्ताव में हस्तक्षेप किया जाना इस न्यायायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है। इस प्रकार समस्त रेकर्ड का अवलोकन अध्ययन करने से न्यायालय इस नतीजे पर पहुंची है कि मौजा डऊकियों की बेरी के खेत खसरा संख्या 54/1, 54/2, 54/4, 54/5, 54/3 भूमि का आपसी सहमति से विभाजन किये जाने पर स्वीकृत नामान्तरकरण व सहमति के विभाजन के अनुसार ही राजस्व कार्मिकों द्वारा उक्त खसरान की राजस्व रेकर्ड में तरमीम की कार्यवाही की गई है। अतः उक्त कार्यवाही करते वक्त राजस्व कार्मिकों द्वारा कोई भूल अथवा लिपिकीय त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 19[illegible] 131, 136 के अन्तर्गत शुद्धि किये जाने योग्य नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:49:17 IST
Reason: SelfAttested